धारा 91 : संरक्षकों, न्यासियों, आदि का दायित्व

जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, किसी अल्पवय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पवय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है, वहां ऐसे संरक्षक या न्यासी या संरक्षक से कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्गृहीत की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पवय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता है और वसूली की जाती, यदि वह वयस्क या समक्ष व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।